न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), प्रयागराज।
<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–748/2026</u>
UPAD010020372026

राजकुमारी पाल (ए.एन.एम.) पत्नी सर्वजीत पाल निवासिनी ग्राम मनिकापुर, थाना सरायइनायत, जिला प्रयागराज।

.....आवेदिका/अभियुक्ता

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... अभियोगी

मु0अ0सं0–80/2018
अन्तर्गत धारा–304ए भा.दं.सं.
धारा–3(2)(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट
(सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–318/2021)
<u>थाना–उतरांव, जनपद प्रयागराज।</u>

<u>दिनांक–16.03.2026</u>

यह **नियमित जमानत** प्रार्थनापत्र आवेदिका/अभियुक्ता **राजकुमारी पाल** की ओर से मु0अ0सं0–80/2018, अन्तर्गत धारा–304ए भा.दं.सं. धारा–3(2)(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–उतरांव, जनपद–प्रयागराज में प्रस्तुत किया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदिका/अभियुक्ता के पैरोकार सर्वजीत पाल द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामबाबू द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–20.05.2018 को थाना उतरांव, में पंजीकृत करायी गयी है कि प्राथी की पत्नी मंजू उम्र 26 वर्ष गर्भवती थी। दिनाक 13.01.2018 को समय लगभग 12.00 बजे रात पेट में तेज दर्द होने लगा, प्रार्थी का भाई तत्काल गांव की ए०एन०एम0 राजकुमारी पाल को सूचित किया, कुछ देर बाद राजकुमारी के साथ दो आशा बहुए सावित्री देवी व मिथिलेश देवी उसके घर आई और कहा कि अस्पताल में बहुत पैसा लगेगा, आप मुझे 5000 रू0 दे दो तो हम लोग सामान्य डिलिवरी घर पर ही करा दुंगी हम लोगों को विश्वास में लेकर प्रसव कराने लगी, लेकिन उसकी पत्नी को असहनीय दर्द हो रहा था और हम लोग बार बार अस्पताल से चलने के लिए कह रहे थे। लेकिन ए.एन.एम. और आशा बहुए यह कह रही थी कि अभी ठीक हो जायेगा । दौरान प्रसव 2.00 बजे रात बच्चा पैदा हुआ लेकिन लापरवाही और उपेक्षा के कारण पत्नी की बच्चेदानी व आंत बाहर निकाल आयी और तेजी से खून निकलने लगा। यह देखकर हम लोग घबरा गये और अस्पताल ले जाने लगे इसी बीच ए०एन०एम० और आशा बहुए भाग गई। हम लोग पत्नी को लेकर अस्पताल गये डाक्टर द्वारा बताया गया कि मृत्यु हो गई है। रात होने और अशिक्षित व गरीब होने के कारण तथा गाव के प्रधान तथा गाव वालों के कहने समझाने के कारण हम लोग पत्नी की लाश को सिरसा घाट पर दफना (मिटटी में गाड) दिया। बाद में पता चला कि उक्त आग की लापरबाही और उतावलेपन तथा पैसे की लालच के कारण अस्पताल न से

जाकर घर पर प्रसव कराया। जिसके कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगर अस्पताल में प्रसव कराया जाता तो निश्चत ही उसकी पत्नी बच जाती। उपरोक्त लोगो ने अपने कार्य के प्रति लापरवाही व तथा पैसा वसूल करने के लिए उसकी पत्नी को मार डाला। मुकदमा दर्ज न होने की स्थिति में प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कि० मि०रिट नं0 5351/2018 दाखिल किया। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय इला ने पुलिस के उच्चाधिकारियों को विवेचना करने हेतु किया है।

वादी मुकदमा रामबाबू की उक्त तहरीर के आधार पर थाना उतरांव प्रयागराज पर अभियुक्ता राजकुमारी एवं अन्य के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–80/2018, धारा–304 भा.दं.सं. व धारा–3(2)(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट, में मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना धारा–304 भा.दं.सं. को लोप करते हुए विवेचना के उपरान्त अन्य अभियुक्त के साथ अभियुक्त राजकुमारी पाल के विरूद्व धारा–304ए भा.दं.सं. धारा–3(2)(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट, में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से संक्षेप में यह तर्क दिया गया कि आवेदिका निर्दोष है तथा उपरोक्त अपराध में झूठा फंसायी गयी है। प्रार्थिनी व उसके साथ आशा बहुए ने अपने पूर्ण ज्ञान व कर्तव्य परायणता के साथ सच्ची निष्ठा से बच्चा पैदा करने का कार्य किया, इसमें किसी प्रकार से लापरवाही नहीं किया है। जच्चा की मृत्यु होने के उपरांत उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया, जिससे मृत्यु का कारण भी स्पष्ट नहीं है। अतः आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाय।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कारित किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का एवं अजमानतीय है। अतः आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी सहित अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अवलोकन से विदित है कि आवेदिका/अभियुक्ता पर अन्य सह–अभियुक्ता के साथ मिलकर वादी मुकदमा जो कि अनुसूचित जाति का है, की पत्नी का लापरवाही एवं उतावलेपन से प्रसव करवाते समय उसकी मृत्यु होना कहा गया है। सम्बन्धित थाने की आख्यानुसार आवेदिका/अभियुक्ता का अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदिका/अभियुक्ता को दिनांक–18.02.2026 को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है, आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा जमानत का दुरूप्रयोग नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी.बी.आई.एवं अन्य,** 2022 SC Online 577 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा आरोपित अपराध हेतु अनुकल्पित दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का उचित आधार प्रतीत होता है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता राजकुमारी पाल का जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता द्वारा मु0–30000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक संतोषप्रद प्रतिभू दाखिल करने पर, उसे जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जाए।

1. आवेदिका/अभियुक्ता अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में विचारण में विलम्ब करेगी।
2. आवेदिका/अभियुक्ता बिना किसी स्थगन के विचारण में सहयोग करेगी।
3. आवेदिका/अभियुक्ता किसी अवैधानिक क्रिया कलाप को कारित करने में सम्मिलित नहीं होगी।

इस आदेश में अधिरोपित किसी भी शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में अभियोजन, अभियुक्ता को प्रदत्त जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही कर सकेगी।

दिनांक–16.03.2026

(परवेज अख्तर)
जे.ओ. कोड UP-6310
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)
प्रयागराज।